न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 05 / 2017

राज.सरकार जरिये धमेन्द्र सिंह, आईपीएस
उप.अधीक्षक पुलिस, वृत ग्रामीण भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

1– सौनू उर्फ सतेन्द्र पुत्र बनवारी उम्र 26 साल जाति ब्रा. निवासी तिलक नगर थाना अटलबन्द भरतपुर
2–देवो उर्फ देवेन्द्र पुत्र किरोडी जाति ब्रा0 उम्र 40 साल निवसी तिलक नगर थाना अटलबन्द भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियत्रण) आदेश 1990

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार
2–श्री राकेश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी0

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 12–03–2018</u>**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2017 को प्रार्थी मय जाप्ता सांकेतिक स्थान मकान बनवारी लाल शर्मा की दुकान पर पहुचं कर जॉच की गई जहॉ पर एक व्यक्ति अवैध रुप से अपने घर के बाहर दुकान पर घरेलू गैस सलेण्डरों से एक मारुति वैन में गैस रिफलिंग करता हुआ नजर आया नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सोनू पुत्र बनवारी शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 26 साल निवासी तिलक नगर भरतपुर बताया तथा एक व्यक्ति ओमनी वेन की बगल में खडा हुआ था उसने अपना नाम देवो पुत्र किरोडी जाति ब्रा0 उम्र 40 साल निवासी तिलक नगर भरतपुर होना बताया। मौके पर 5 सलेन्डर भारत गैस के घरेलू गैस भरे हुये जिसमे से 4 भरे व 1 खाली है व एक छोटा पैट्रोमैक्स तथा एक विद्युत चलित मोटर पम्प जिसमें से एक दोनों प्लास्टिक के पाईप लगे है जिसकी मदद से मारुती वैन ओमनी नम्बर आरजे 05 यूए 1990 में गैस भर रहे थे, पास में एक माला में 150 ढक्कनों मिले। घरेलू गैस सलेन्डरों से गाडी व पैट्रोमेक्स में गैस रिफलिंग के सम्बन्ध में अप्रार्थी के पास कोई वैध लाईसेंस व कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। मौके पर मिले 5 घरेलू गैस सिलेन्डर, 1 पैट्रोमेक्स एक विधुत चलित मोटर मय नली एक ओमनी वैन आरजे05 यू ए 1990 व 150 ढक्कनों की माला को जप्त किया गया तथा अप्रार्थी. के खिलाफ पुलिस थाना अटलबन्ध भरतपुर में एफआईआर नम्बर 0290 / 2017 दर्ज कराई गई है। अप्रार्थीगण यह कृत्य घरेलू गैस सिलेन्डरों से रिफलिंग कर द्रवित पैट्रलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 एवं 7 तथा राज0पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्ण) आदेश 1990 के खण्ड3 का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्त शुदा 4 भरे हुये

.........2

गेस सिलेन्डर, एक सिलेन्डर खाली व 2 पैट्रोमेक्स छोटा सिलेन्डर खाली व एक विधुत मोटर मय नली, एक माला सिलेन्डरों के ढक्कनों की जिसमें करीब 150 ढक्कन हैं तथा एक ओमनी मा्रुती कार रजिस्टर नम्बर आरजे 05यूए 1990 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी. की ओर से जबाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। इसी दरम्यान प्रार्थी हरिओम पुत्र लखन आयु 45 साल जाति ब्राहम्ण निवासी तिलक नगर, ने दो घरेलू गैस सिलेन्डर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र किरोडीलाल शर्मा आयु 50 साल जाति ब्रा. निवासी तिलक नगर, ने दो गैस सिलेन्डर, एवं तनु पत्नी देवेन्द्र शर्मा आयु 38 साल जाति ब्रा0 निवासी तिलक नगर भरतपुर ने एक घरेलू गैस सिलेन्डर सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी सुपुर्दगारान की ओर से भी अभिभाषक राकेश शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि किसी पुलिस कर्मचारी ने बनवारी लाल शर्मा की दुकान पर पहुंचकर कार्यवाही नहीं गई है। अप्रार्थी रिफिलिंग का काम नहीं करते हैं। अप्रार्थी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया है। जप्त वैन प्रार्थीगण की स्वंय की वैन है। वैन में कोई गेस नहीं भरी जा रही थी। बनवारी लाल शर्मा, राजेन्द शर्मा देवा सगे भाई है तथा हरिओम शर्मा उनका चचेरा भाई है जो सयुंक्त परिवार में रहते हैं। जिनके नाम डीबी गैस कनैकशन जारी है। जिनकी पास बुक की प्रति पेश की गई हैं। अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण के घर में 5 गैस सिलेन्डर है पुलिस कर्मचारियों ने घर में घुसकर जबरदस्ती घर के अन्दर से गैस सिलेन्डरों का उठाकर लाये हैं। प्रार्थीगण के खिलाफ झूठा प्रकरण बनाया गया है । योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि जो ढक्कन व मोटर पम्प व पैट्रोमेक्स जप्त करना बताया गया है व प्रार्थीगण से जप्त नहीं किये गये हैं, और नाहीं प्रार्थीगण का इनसे कोई सम्बन्ध व सरोकार है। पुलिस ने कोई तफतीश नहीं की गई है और नाही पडोसियों से कोई पूछताछ की गई है। प्रार्थी की वैन को भी गलत जप्त किया गया है, वेन में कोई गेस रिफलिंग नहीं हो रही थी। उन्होने बताया कि बनवारी लाल शर्मा राजनैतिक व्यक्ति हैं कुछ कॉलोनी के व्यक्ति इनसे रंजिश रखते हैं। बनवारी लाल शर्मा की इज्जत को घूमिल करने के उद्देश्य से यह झूंठी कहानी बनाई जाकर यह कार्यवाही की गई हैं। जप्त 5 गैस सिलेण्डर देवो की पत्नी तुन व भाई राजेन्द्र व हरिओम के नाम जारी हैं, गैस सिलेन्डरों की सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना सुपुर्दगी पेश किये गये हैं। प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट खारिज किया जावे। जप्त गैस सिलेन्डरों को प्रार्थीयान उनके मालिकों को सुपुर्दगी में दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थीना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट में मौके पर जप्त पॉच घरेलू गैस सिलेण्डर, एक मोटर विधुत चलित मय प्लास्टिक पाईप, एक माल 150 गैस के सिलेन्डर ढक्कन एवं एक छोटा पेट्रोमेक्स एवं मारुति वेन को जप्त किया गया है। अप्रार्थी0 मारुति वेन में घरेलू गैस सिलेन्डर से विधुत मोटर से गैस रिफिलिंग करते हुये मोके पर पकड़ा गया है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द जप्ती तारीखी 11.10.17 में की कार्यवाही पर अप्रार्थी. के हस्ताक्षर हो रहे हैं अतः योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह कहना कि सारी कार्यवाही झुंठी की है स्वीकार योग्य नहीं रहता है। मोके पर वाहन में गेस भरने की विधुत मोटर नली लगी हुई वैन में गैस भरते हुये पाई गई है। प्रार्थी सुपुर्दगारान द्वारा जप्त घरेलू गैस सिलेंण्डरों को अपना बताते हुये, गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 15.1.18 को पेश किया गया है, जो सन्देहास्पाद है क्यों कि

.........3

धारा 6ए का प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 31.10.17 को पेश किया गया है। प्रार्थी. द्वारा करीब दो माह बाद सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र दिया गया है, अगर प्रार्थीयान के घर में से सिलेण्डर उठाये गये होते ये अवश्य ही जरुरत को देखते हुये तत्समय ही चाराजोही करते परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया और पाश्चतवर्ती सोच के तहत करीब दो माह बाद ये सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहते हैं। वक्त जॉच अप्रार्थी. मारुति वैन में घरेलू गैस सिलेण्डर से विधुत मोटर मय नली से रिफिलिंग करते हुये मोके पर माल जप्त किया गया है। अप्रार्थीगण यह कृत्य घरेलू गैस सिलेन्डरों से रिफलिंग कर द्रवित पैट्रलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 एवं 7 तथा राज0पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्ण) आदेश 1990 के खण्ड3 का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के खिलाफ एफआईआर नम्बर 0290/2017 दर्ज कराई हुई है। अतः जप्त शुदा 4 भरे हुये गेस सिलेन्डर, एक सिलेन्डर खाली व पैट्रोमेक्स छोटा सिलेन्डर खाली व एक विधुत मोटर मय नली, एक माला सिलेन्डरों के ढक्कनों करीब 150 ढक्कन हैं तथा एक ओमनी मारुती कार रजिस्टर नम्बर आरजे 05यूए 1990 को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त पॉच घरेलू गैस सिलेण्डर (मय गैस), एक छोटा पेट्रोमेक्स, एक मोटर विधुत चलित मय नली, करीब 150ढक्कन गेस सिलण्डर के एवं एक ओमनी मारुती कार रजिस्टर नम्बर आरजे 05यूए 1990 राजसात (Confiscate) किया जाता है। प्रार्थी उप अधीक्षक पुलिस, वृत ग्रांमीण भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सम्पर्क कर राजसात जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे। तथा अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति उप अधीक्षक पुलिस वृत ग्रामीण भरतपुर को एवं जिला रसद अधिकारी भरतपुर एवं को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जावे।

निणर्य आज दिनांक 12—03—2018 को सुनाया गया।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Web Copy - Not Official